

प्रमाण अनुमोदनार्थ

पुस्तिका संख्या १०१/१९६४

विषय:- अन्तार्राष्ट्रीय मुक्ति तथा अन्तार्राष्ट्रीय लेखा पुस्तिका हेतु तर्जन-मासन की संशोधन एवं अपूर्ति के संबंध में।

पुस्तिका तैयार करने के लिए अनुसूची-३ परिशिष्ट-६५ के अंतर्गत अन्तार्राष्ट्रीय लेखा पुस्तिका में प्रत्येक हस्तक्षर एवं भारक्षी को एक पीतल की धाती एवं एक पीतल का लोटा अतिरिक्त काल के लिए दिए हैं। अनुसूची परिशिष्ट-३ के अंतर्गत १-२०५०/४७ मुद्रा संख्या २५०१ दिनांक २८-९-६४ के निर्देशानुसार पीतल की धाती एवं लोटा के लक्षण पुस्तिका में उल्लेख नहीं किये गये हैं। अतः यह निर्णय लिया गया है कि पीतल की धाती एवं लोटा के स्थान पर स्टेनलेस स्टील की धाती एवं स्टेनलेस स्टील का लोटा प्रयोग किया जायेगा।

१। धाती की लंबाई १ १/२" एवं किनारा १ १/४" का होगा जो २२ ग्रेन वजन का होगी जिसका अधिकतम वजन ६०० ग्राम होगा। वजन में १०% प्रतिकूल त्रुटि होने की अनुमति है।

२। लोटा की लंबाई २ १/२" एवं किनारा १ १/४" का होगा जो २२ ग्रेन वजन का होगा। वजन में १०% प्रतिकूल त्रुटि होने की अनुमति है।

३। धाती एवं लोटा का क्रम "साभूते एवं पूर्ति" शीर्षक के अन्तर्गत लिखा जायेगा।

४। अन्तार्राष्ट्रीय मुक्ति एवं अन्तार्राष्ट्रीय लेखा पुस्तिका के जमानों के लिए सांख्यिक लेख के लक्षण में उल्लेखित अन्तर्लिखित अपरिभाषित किया जाता है :-

क। अन्तार्राष्ट्रीय लेखा पुस्तिका :- एक अन्तार्राष्ट्रीय लेखा पुस्तिका में निम्नलिखित अन्तर्लिखित अन्तर्लिखित लेख जो केवल अन्तार्राष्ट्रीय लेखा पुस्तिका के लिए उपयोग किये जायेंगे :-

१. अन्तार्राष्ट्रीय लेखा पुस्तिका के अन्तर्लिखित लेख :-
 - १२०" लंबाई एवं किनारा १ १/४" तर्जन - दो अक्षर
 - ७.५ के (१००) १५ १०४" -
२. लोहे की कृपावली के अन्तर्लिखित लेख :- एक अक्षर
३. लोहे का मापन के अन्तर्लिखित लेख :- एक अक्षर
४. अन्तार्राष्ट्रीय लेखा पुस्तिका के अन्तर्लिखित लेख :- एक अक्षर
- १२०" लंबाई एवं किनारा १ १/४" तर्जन -

- 5. लोहे की सोलनी - एक अदद
 | 36" लम्बा, व्यास 5" मोटा 1
- 6. लोहे का करझुल - एक अदद
 | 18" लम्बा, कप का व्यास 5"

33। सेवकान स्तर पर :- आवातून के तीन सेवकान में प्रत्येक के लिए एक-एक का ही मन्तिरिन प्रापदंड होगे। इन वर्तमान सेवकान स्तर पर विद्यमान अददों तथा सेवकान की प्रतिनियुक्ति की अवस्था में वर्तन उन्हें मुहैया कराये जायें।

- 1. अल्पनियम देवकी सेवकान - एक अदद
 | 18" व्यास, 10" लम्बा, वजन 5 के. ग्रा. ± 10% 1
- 2. अल्पनियम देवकी सेवकान सहित - एक अदद
 | 14" व्यास, 6" लम्बा, वजन 2 के. 50ग्राम ± 10% 1
- 3. लोहे की कृ. ही हैन्डल सहित - एक अदद
 | 15" व्यास 1
- 4. लोहे का लाना हैन्डल सहित - एक अदद
 | 12" व्यास 1
- 5. जी०आई०आल्टी - एक अदद
 | 14" व्यास 1
- 6. अल्पनियम लाना हैन्डल सहित - एक अदद
 | 6" व्यास, 7" लम्बा, वजन 275 ग्राम ± 10% 1
- 7. लोहे की सोलनी - एक अदद
 | 18" लम्बा, व्यास 5"
- 8. लोहे का करझुल - एक अदद
 | 16" लम्बा तथा कप का व्यास 5" 1
- 9. इक्षिरा हैन्डल सहित सहित का - एक अदद
 | 15" लम्बा, व्यास 5" 1
- 10. लोहे का सिण्टा - एक अदद
 | 15" लम्बा, 1 1/2" मोटा 1
- 11. लोहे का फहनल - एक अदद
 | 18" लम्बा अददों का स्तर पर
 | 10" लम्बा लोहे का स्तर लोहा 1
- 12. लकड़ी का बकला - एक अदद
 | 10" व्यास किन्हीं अददों में लोहा 1
- 13. लकड़ी का बेलना - एक अदद
 | 12" लम्बा 1
- 14. पदशर का लोहा - एक अदद
 | 10" लम्बा, 10" मोटा, 10" मोटा 3"
 लकड़ी लम्बाई 10", मोटाई 10" मोटाई 3"
 लोहा - माप में 10% की छूट 1

15. पत्थर का लोढ़ा

मेटा मोरिफिक पत्थर का दान किया
10" लम्बा, 3" चौड़ा, " मोटा, दाना
माप में +10% की छूट है

एक अदद

1- सामूहिक पैदा के वर्तनों का क्रय "अन्य प्रकार शीशं" के अन्तर्गत किया जायगा।

2- उक्त पत्थर के आधार पर समावेष्टा वर्तनों की अपनी न्यूनतम सामान्यता प्रति वर्ग फुटि हरतक 1977 को महत पुक्ति हरतक प्रपत्र सं० 158 में महानिदेशक आरक्षी महानिरीक्षक को प्रेषित। वासन-वर्तनों के क्रय हेतु निविदा पुक्ति हरतक नियम 10761ए के अनुसार आयोजित की जायगी। पुक्ति हरतक नियम 10761बी के तहत पुक्ति के न्तीय क्रय समिति द्वारा वर्तनों के नमूने, दर एवं फर्म निर्धारित की जायगी। नमूने वासन वर्तन वर्तनों की तरह के न्तीय रूप से क्रय की जायगी तथा क्रयोपरान्त संबंधित वर्तनों को भारतीया किया जायगा।

4- वासन वर्तनों का क्रय निधि को उपलब्धता के आधार पर की जायगी। केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा एवं दर निर्धारण के बाद सं० 10/नि०/क्यू०/वर्तनों के क्रय पर होने वाले प्राक्कलित काम की राशि को उपलब्धता के संबंध में सं० 10/नि०/प्रशासन से सिंपुडिट कराने के बाद ही संबंधित काम को क्रयदेश निर्गत करेग।

5- पुक्ति शोधार्थि 21/4/1987 एवं 21/6/90 जो क्रमांक: 1732/एस० दिनांक 4-5-89 एवं 450/कै०पु० दिनांक 2-3-90 द्वारा निमित्त हुए हैं, को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जायगा है।

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना।

दिनांक 23/1/89 एस०

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक कार्यालय, बिहार।

प्रतिलिपि:-

पटना, दिनांक 24 जनवरी, 91.

1- आरक्षी महानिरीक्षक, स्यास्त्र बल/ प्रोविजन्स, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

2- सभी आरक्षी सप-महानिरीक्षक, स्यास्त्रबल/ सभी समावेष्टा, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

3- आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक प्रशासन/क्यू० बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

4- प्रशाखा महानिरीक्षक पी-1, प्रशाखा, महानिरीक्षक एवं आरक्षी महानिरीक्षक कार्यालय, बिहार, पटना को सत्यपत्र में उकाशन हेतु आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

राग/22191

AUGUST

10

Monday

NOVEMBER

10

Tuesday